लंबित मामलों को शीघ्र निपटाएं

▸ सुप्रीम कोर्ट सख्त, देरी पर हाईकोर्टों को निर्देश

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में लंबित मामलों और फैसलों में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित (रिजर्व) रखने के बाद उसे अधिकतम 3 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से सुनाया जाना चाहिए.

यदि ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामला चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाना होगा. सीजेआई सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत याचिकाओं पर निर्णय उसी दिन सुनाया जाए और यदि आदेश सुरक्षित रखा गया है तो उसे अगले दिन जारी कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए.

यह निर्देश झारखंड हाईकोर्ट में 2022 से लंबित एक आपराधिक अपील के मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए, जिसमें देरी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कुल 12 निर्देश जारी किए हैं, जिनमें जमानत मामलों की त्वरित सुनवाई, जेल प्रशासन को तुरंत सूचना भेजना, और फैसलों की समयबद्ध अपलोडिंग शामिल है. कोर्ट ने कहा कि यदि 3 महीने से अधिक देरी होती है तो पक्षकार 2 दिन के भीतर सुनवाई की मांग कर सकते हैं, और 4 महीने बाद मामला दूसरी बेंच को स्थानांतरित करने की अपील भी की जा सकती है. सीजेआई ने कहा कि न्याय में देरी स्वीकार नहीं की जा सकती.

▸ पूर्व सीजेआई बीआर गवई बोले, विवाद बढ़ा-चढ़ाकर पेश

नई दिल्ली, 29 मई . पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपयोग किए गए कुछ शब्दों को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगारों को 'कॉकरोच' और 'पैरासाइट' जैसे शब्द कहे गए, आप इसे कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और जज भी इंसान होते हैं, इसलिए सुनवाई के दौरान अनजाने में कोई शब्द निकल सकता है, जिसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए. मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के कारण संदर्भ से हटकर बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है.

आर्ट ऑफ लिविंग समारोह में उपराष्ट्रपति ने जारी किया स्मारक डाक टिकट

बेंगलुरु, 29 मई .भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्मारक डाक टिकट जारी किया और पांच राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने संस्था के सामाजिक, मानवीय और वैश्विक शांति में योगदान की सराहना की.

कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ, जिसमें 678 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल हुए. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आंतरिक शांति ही बाहरी सद्भाव की नींव है और वर्तमान समय में ध्यान, योग और आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व और बढ़ गया है. पांच पहलों में यूथ करियर एक्सीलेंस प्रोग्राम, ईस्टर्न नॉलेज सिस्टम्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनक्यूबेशन, कॉन्शियसनेस स्टडीज सेंटर और 'इको शांति' पहल शामिल हैं. इनका उद्देश्य शिक्षा, स्टार्टअप, शोध, पर्यावरण संरक्षण और मानव विकास को बढ़ावा देना है.

'इको शांति' पहल के तहत 2030 तक हर साल 1 लाख टन प्लास्टिक उपयोग कम करने का लक्ष्य रखा गया है.

सहारनपुर पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर

लखनऊ, 29 मई . उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के थाना चिलकाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक लाख रुपये का इनामी बदमाश एहसान मारा गया, जबकि उसका एक साथी जंगल के रास्ते फरार हो गया.

पुलिस के अनुसार, टीम संदिग्ध बदमाशों की तलाश में इलाके में दबिश दे रही थी, तभी दो संदिग्धों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से काफी देर तक गोलीबारी हुई, जिसमें बदमाश एहसान को सीने और पैर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस मुठभेड़ में थाना सरसावा प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा और हेड कांस्टेबल सोनू भी घायल हो गए. इंस्पेक्टर की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोलियां लगने से उनकी जान बच गई. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. मारे गए बदमाश एहसान पर लूट समेत कई गंभीर मामलों में 13 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और वह थाना बेहट क्षेत्र की एक बड़ी लूट में वांछित था. घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और फरार बदमाश की तलाश के लिए जंगलों में ड्रोन और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

'ऑपरेशन सिंदूर' पर पुस्तक का हुआ विमोचन

▸ पुस्तक पारंपरिक सैन्य इतिहास से अलग: राजनाथ

नई दिल्ली, 29 मई . रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम देने वाले बहादुर सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के अनुभवों पर आधारित स्मारक पुस्तक का विमोचन किया. इस अवसर पर उन्होंने इसे सैनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्रसेवा का प्रतीक बताया.

इस पुस्तक में ऑपरेशन में शामिल करीब 100 सैन्य कर्मियों के व्यक्तिगत अनुभवों को संकलित किया गया है, जिसमें युद्ध के दौरान जमीनी हालात, हवाई कार्रवाई, नौसैनिक रणनीति और विशेष बलों की भूमिका का विस्तृत वर्णन किया गया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पुस्तक पारंपरिक सैन्य इतिहास से अलग है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन के वास्तविक अनुभवों को सीधे सैनिकों की नजर से प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने इसे आधुनिक युद्ध में नेतृत्व, निर्णय क्षमता और साहस का जीवंत दस्तावेज बताया. उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान चार दिनों में ही पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए मजबूर किया, जो भारतीय सेनाओं की ताकत और रणनीतिक दक्षता को दर्शाता है. इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे. पुस्तक को सैन्य अनुभवों का महत्वपूर्ण संग्रह और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया गया है.

रूस में लैंड करते ही पुतिन-तालिबान में हुई डील

नई दिल्ली, 29 मई. रूस में आयोजित इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम के दौरान भारत, रूस और अफगानिस्तान के बीच बदलते भू-राजनीतिक समीकरण सामने आए. भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह का 'दोहरा मापदंड' स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई का संदेश दिया.

कार्यालय नगर परिषद डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

Email-emodidori@mpurban.gov.in Contact No.

एनआईटी क्र./ / लो.नि.शा./2026/ 1290 **// ई-निविदा आमंत्रण सूचना //** डिण्डौरी, दिनांक :- 27/05/2026

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य हेतु म.प्र.शासन UADD ISSR w.e.f. 02 August 2021 से प्रभावशील ISSR पर कम/अधिक प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली या सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदा दिनांक 27/06/2026 समय 17.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

ई-टेंडर क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत एवं ISSR (लाख में)	अमानत राशि (रुपए में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रुपए में)	सक्षम पंजी श्रेणी	कार्यावधि
2026_UAD_	वित्तीय वर्ष 2026-27 शहर के आवारा कुत्तों (श्वानों) को पकडकर उनका बधियाकरण-टीकाकरण एवं प्रथकवास / संगरोध केनल स्थपना का कार्य ठेका प्रणाली से कराये जाने हेतु।	1000000.00 UADD ISSR w.e.f. 02 August 2021	20000.00	2000.00	Centralized Registration system on PWD	वित्तीय वर्ष 2026-27

शर्त-निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन http://www.mptenders.gov.in वेबसाईट पर किया जावेगा पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

श्रीमती सुनीता अशोक सारस, अध्यक्ष, नगर परिषद डिण्डौरी | **श्रीमती सारिका मंटू नायक, उपाध्यक्ष, नगर परिषद डिण्डौरी** | **श्री रीतेश जैन, लोक निर्माण सभापति, नगर परिषद डिण्डौरी** | **मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)**

खतरे के बीच होर्मुज पार कर रहे भारतीय जहाज, सरकार सतर्क

▸ तेल सप्लाई बचाने को सरकार का गुप्त समन्वय

नई दिल्ली, 29 मई. ईरान-अमेरिका तनाव के बीच दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। यह वही समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है।

हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि कई देशों ने जहाजों की आवाजाही सीमित कर दी है, लेकिन भारत ने रणनीतिक समन्वय और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की है. शिपिंग मंत्रालय के डायरेक्टर ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर 'निसोस करोस' 25-26 मई की रात सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर चुका है। यह जहाज लगभग 2.7 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा है और इसके 3 जून तक विशाखापत्तनम पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा कारणों से जहाजों की आवाजाही और ईरान के साथ समन्वय की पूरी जानकारी साझा नहीं की जा सकती. विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय मिलकर तय करते हैं कि किस जहाज को पहले सुरक्षित निकाला जाएगा.

भेड़ चराने को तैयार यूनिवर्सिटी टॉपर

बीजिंग, 29 मई . चीन में बढ़ते रोजगार संकट और खराब वर्किंग कल्चर का असर अब इस हद तक दिखने लगा है कि कई लोग महानगरों की अच्छी नौकरियां छोड़कर गांवों में चरवाहे की नौकरी करने को तैयार हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक नौकरी विज्ञापन ने देश के लेबर मार्केट की सच्चाई उजागर कर दी है. मंगोलिया के दक्षिणी घास के मैदानों में चरवाहों की भर्ती के लिए जारी इस विज्ञापन को चीनी प्लेटफॉर्म 'वीबो' पर 5.9 करोड़ से अधिक बार देखा गया. केवल दो पदों के लिए 700 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, जिनमें शंघाई और चोंगकिंग जैसे बड़े शहरों के व्हाइट-कॉलर कर्मचारी, फैक्ट्री वर्कर और हाल ही में स्नातक हुए युवा शामिल हैं.

तेलंगाना सरकार ने जारी किये 2,000 करोड़

हैदराबाद. तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को पहले चरण के तहत कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित बकाये भुगतान के लिए 2,000 करोड़ जारी कर दिये हैं. इसके साथ ही सरकार ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कर्मचारी यूनियनों को दिये एक प्रमुख आश्वासन को पूरा कर दिया है. सरकार ने इससे पहले कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति के नेताओं से वादा किया था कि 6,000 करोड़ का लंबित बकाया 100 दिनों के भीतर चुका दिया जायेगा. वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया ने शुक्रवार को 2,000 करोड़ जारी करने के आदेश जारी किये. इस नवीनतम राशि के जारी होने के साथ ही, सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के बकाये और मई 2025 तक बकाये पेंशन का एकमुश्त भुगतान कर दिया है।

निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 की मौत

लखनऊ, 29 मई . उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे गिर गया. इस दर्दनाक हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एसडीआरएफ की टीम ने मलबे में फंसे 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. करीब साढ़े 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला. उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन के अनुसार, हादसा तेज आंधी और बारिश के कारण हुआ, जब 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं. घटना के बाद सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि डीपीएम दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हादसा हमीरपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर ललपुरा क्षेत्र में हुआ. मृतकों में 4 मजदूर बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले थे.

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
"मिनी रत्न कम्पनी"
(कोल इण्डिया लिमिटेड का उपक्रम)

एसईसीएल/एजीएम (हसदेव)/भू.रा./25-26/10 **सूचना** दिनांक 22.04.2026

इस प्रकाशन के माध्यम से यह सूचित किया जाता है कि एसईसीएल हसदेव क्षेत्रान्तर्गत शीतलधारा कुरजा यूजी माईन कालरी के डिपलरिंग हेतु ग्राम-परसापानी, के निम्नलिखित भू-विस्थापितों एवं उनके द्वारा नामित, आश्रित उम्मीदवार को एसईसीएल में रोजगार प्रदान करने हेतु एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर से स्वीकृति प्राप्त किये जाने बावत् औपचारिकताएं यथाशीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

Sl No.	Name as per Land Owner on date of sanction 9 (i)	Name as per P-II &B-I Statement 1-A [Land owner on date of compensation assessment]	Name of PAP proposed for employment		Document	Name
1.	दलबीर सिंह पिता राम सुन्दर जाति-गोड़ ग्राम-परसापानी खसरा नं.- 1/1/5, 1/3/1, 7/1, 46/1 रकबा- 1.162 हे. (2.87 एकड़)	हिरमतिया बाई बेवा दलवीर सिंह, गुलाब सिंह, बलराम, अनीता उर्फ गुजरतिया, फुलवसिया पिता दलवीर सिंह	शिव प्रसाद पिता गुलाब सिंह	1	वंशवृक्ष	शिवप्रसाद पिता गुलाब सिंह
				2	निवास प्रमाण पत्र	शिव प्रसाद पिता गुलाब सिंह
				3	राशन/समग्रकार्ड	शिव प्रसाद पिता गुलाब गोड़
				4	मतदाता परिचयपत्र	शिव प्रसाद पिता गुलाब सिंह
				5	आधार कार्ड	शिव प्रसाद पिता गुलाब सिंह
				6	शिक्षा प्रमाण पत्र	शिव प्रसाद पिता गुलाब सिंह 8th
				7	रोजगार पंजीयन	SHIV PRASAD
				8	पेन कार्ड	SHIV PRASAD S/o GULAB SHING
				9	जाति प्रमाण पत्र	शिव प्रसाद पिता गुलाब सिंह

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये भू-स्वामी एवं आश्रित रोजगार बावत् प्रस्तावित सदस्य के संबंध में किसी भी संबंधित व्यक्ति को इस पर आपत्ति हो, तो अपना पूरा नाम हस्ताक्षर, पता एवं मूल दस्तावेजो/प्रमाणों के साथ इसकी लिखित शिकायत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस सूचना के प्राकाशन के 7 दिवस के अंदर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि के पश्चात् या दस्तावेजी प्रमाण नहीं होने की स्थिति में दावा-आपत्ति मान्य नही होगा।

SECL/26-27/43

क्षेत्रीय महाप्रबंधक, एसईसीएल, हसदेव क्षेत्र

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **मण्डला-कृषि उपज मण्डी जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, कृषि उपज मंडी के सामने, पढाव रोड, मंडला-481661** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL48422314, GL39355003, GL39336830, GL35795141, GL31423723, GL32354468, GL30253014, GL38063771, GL36209842, GL36745376, GL37437906, GL36501841.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: मण्डला
Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **गाडरवारा-स्टेशन रोड जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, इंद्रा वार्ड, सिविल अस्पताल के सामने, स्टेशन रोड, गाडरवारा -487551,** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL37048121, GL38270926, GL34915710, GL34922037, GL22937541, GL32058066, GL41589353, GL34966677, GL34986464, GL41560461, GL38194383.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: नरसिंहपूर
Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **सिवनी-राजयोग पैलेस जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, राजयोग पैलेस, तिलक स्कूल के पास, छिंदवाड़ा चौक, सिवनी 480661, (मध्य प्रदेश),** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL34803344, GL34808161, GL35233700, GL38133562, GL45949489, GL38869138, GL38850567, GL28984337, GL28963446, GL32581261, GL42118496.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: सिवनी
Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **कटनी-गणेश चौक जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, हाउस नं. 282, यूपी जलपान गृह के सामने, मधाई मंदिर के पास, सुभाष वार्ड, गणेश चौक, कटनी, 483501** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL39476011, GL39447167, GL33144381, GL34479405, GL34468447, GL36899005, GL38927981, GL38021127, GL38122761.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: कटनी
Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

सोने के गहनों की नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

एतद द्वारा सभी संबंधित उधारकर्ताओं को विशेषतया, और आम जनता को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि हम, आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड (''आईआईएफएल'') उन डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के सोने के गहनों की नीलामी कर रहे हैं, जिन्होंने पंजीकृत नीलामी सूचनाओं और बार-बार याद दिलाए जाने के बाद भी न तो अपने ऋण का भुगतान नियमित किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया । निम्नलिखित ऋण खातों में गिरवी रखे गये सोने के गहनों की सार्वजनिक नीलामी **दिनांक 30.06.2026** को **सुबह 10 बजे** से निम्नलिखित ज़िला केंद्र **जबलपुर-लेबर चौक जीएल - आईआईएफएल गोल्ड लोन, पीएच नंबर 1476 कमला नेहरू नगर गढ़ा रोड जबलपुर, 482001,** पर संचालित की जायेगी। स्थान या दिनांक में किसी भी बदलाव (यदि कोई हो) नीलामी केंद्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी कारण से नीलामी यहाँ दी गयी तिथि पर संपन्न न की जा सके या एक ही दिन में पूरी न हो, तो आईआईएफएल को कथित नीलामी समान नियमों व शर्तों के साथ आगे की किसी तारीख़ पर संचालित या संपन्न करने का अधिकार है। इस स्थिति में किसी ग्राहक की मृत्यु हो गई है, नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी सभी नीलामी शर्तों के अधीन होगा।

गोल्ड लोन खाता. सं.: GL36875405, GL31794294, GL38212582, GL38302776, GL38317266, GL35801693, GL34002686, GL39726954, GL37265914, GL39032778, GL35942977, GL35957272, GL38104902, GL34041033, GL39382612, GL38437112, GL37232862, GL39718069, GL31746517, GL38004853, GL38001940, GL38859150, GL38234959, GL29947348, GL38607013, GL38595526, GL38532438, GL46303925, GL39347470, GL39348559, GL43686697, GL47643274, GL48252433, GL39519754, GL39497832, GL34619175, GL34721299, GL32542315, GL31285572, GL30126928, GL34720628, GL39056411, GL38227960, GL33475060, GL33815024, GL39701393, GL35644824, GL38809133, GL37843102, GL37157050, GL34748084, GL34758212, GL35053262, GL30500690, GL38110426, GL25289148, GL32335527, GL37011488, GL37244106, GL37221183, GL37206201, GL39132062, GL36663968, GL34012421, GL37755889, GL39287405, GL37617986, GL38482349, GL38774591, GL36675501, GL40841985, GL36887970, GL37376773.

नीलामी ''जैसा है, जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर आयोजित की जाएगी और आईआईएफएल उक्त सोने के गहनों की गुणवत्ता, शुद्धता, कैरेट, वजन या मूल्यांकन के मामले में ना तो कोई प्रतिनिधित्व करता है, और ना ही कोई वॉरंटी देता है। आईआईएफएल, अपने पूर्ण विवेक से, किसी भी खाते को नीलामी सूची से और किसी भी कार्यवाही को बिना किसी पूर्व सूचना के और बगैर कोई कारण बताए या तो स्थगित कर सकता है या हटा सकता है, और बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों या प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता है। डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं गिरवी रखे गए गहनों का विवरण एवं अन्य विवरणों को संबंधित शाखा में प्रदर्शित किया गया है। इस नोटिस को प्रकाशित करने के बाद भी, डिफाल्टर उधारकर्ता के पास ब्याज और किसी भी लागू शुल्क सहित बकाया पूरी राशि चुकाने और अपने ऋण खाते को बंद करने या नियमित करने का विकल्प है। हालाँकि, यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके पास नीलामी की तारीख तक का समय है, जिस समय गिरवी रखे गए सोने के गहने बेचे जाएंगे और किसी भी बकाया राशि (यदि कोई हो) को ब्याज और लागत के साथ वापस कर दिया जाएगा। हालाँकि, डिफॉल्टर ऋण, जो इस प्रकाशन के समय या उसके बाद बंद या नियमित किए जाएंगे, उन्हें आनुपातिक रूप में प्रकाशन शुल्क का वहन करना होगा। उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम बैंक खाते का विवरण दर्ज/अपडेट कराएं, ताकि उन्हें नीलामी से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय, यदि कोई हो, की वापसी की जा सके।

विस्तृत जानकारी, नियम व शर्तों के लिए आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

दिनांक: 30.05.2026
स्थान: जबलपुर
Sd/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

CENTRUM Home Loans — Aao milkar ghar banaye

कंपनी एवं पंजीकृत कार्यालयः
यूनिट नं. 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नं. U65922MH2016PLC273826

निजी समझौते के माध्यम से बिक्री की सूचना

सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ऋण लेने वाले/ले जाने वालों से देय राशि की वसूली हेतु, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद लिफाफों में अचल संपत्ति की खरीद हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है और जो भौतिक कब्जे में है। यह संपत्ति 'जैसी है वैसी ही' आधार पर खरीदी जाएगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः-

स. क्रं.	ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/ गारंटर/ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि दिनांक के अनुसार	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य ((RP)	बयाना राशि जमा राशि (EMD) 10%
1	अमर अहिरवार/ रितु अहिरवार JLRJL21006565	28-11-2024 रू. 14,78,363/- (चौदह लाख अठत्तर हजार तीन सौ तिरेसठ मात्र)	मौजा-रिमझा की अचल संपत्ति का हिस्सा, भाग और अंश पी.एच. सं. 79, नया कथोंडा, क्षेत्रफल 744 वर्ग फुट, आरएनएमः- महाराजपुर, नया मधोताल, डायवर्जन का भाग और ख.सं. 65 का पी-2 भाग, निजी संपत्ति का भाग प्लॉट संख्या 49, नगर निगम वार्ड संख्या 72, तहसील- अधारताल, जिला - जबलपुर-482002, म.प्र.। सीमाएँः - पूर्वः - पड़ोसी की संपत्ति पश्चिमः- प्लॉट संख्या 48 उत्तरः - प्लॉट संख्या 27 दक्षिणः - बगल की सड़क	रु. 10,00,000/- (दस लाख मात्र)	रु. 1,00,000/- (एक लाख मात्र)

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना

1. नीलामी "जैसा है, जहाँ है" और "जैसा है, जो है" के आधार पर आयोजित की जा रही है। 2. नीलामी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें निर्धारित निविदा प्रपत्र में शामिल हैं, जो उपर्युक्त शाखा कार्यालय में उपलब्ध है। 3. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव नीलामी की तिथि 23/06/2026 है, जो उपर्युक्त शाखा कार्यालय के पते पर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जाएगी। 4. क्रेता लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, शुल्क आदि और साथ ही सभी वैधानिक देय, कर, दर निर्धारण, सरकारी और अर्ध सरकारी कर, टीडीएस और अन्य शुल्क, शुल्क आदि का वहन करेगा। उपरोक्त उल्लिखित बंधक संपत्ति का कब्जा सीएचएफएल के पास है, जो उपरोक्त के अनुपालन पर सफल बोलीदाता को शांतिपूर्ण कब्जा सौंप देगा। इच्छुक बोलीदाता को संपत्ति के स्वामित्व और उस पर लगे भार के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच करनी चाहिए और संपत्ति का निरीक्षण करके संतुष्ट होना चाहिए। 5. संपत्ति को अपने नाम पर स्थानांतरित कराने के सभी अन्य खर्च और वैधानिक देय राशि, यदि कोई हो, सफल क्रेता द्वारा वहन की जाएगी। 6. उच्चतम बोलीदाता को सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की स्वीकृति के अधीन होना होगा। अधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी प्रस्ताव/बोली को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। 7. उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं) को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत नीलामी की तारीख से पहले ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिन की बिक्री सूचना दी जाती है, अन्यथा अचल संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी। यदि उधारकर्ता नीलामी की तारीख से पहले सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी रद्द की जा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए अधिकृत अधिकारी से संपर्क करेंः बृजेश शुक्ला - 9451139900 और प्रशांत सोनी - 8461809049

स्थानः मध्यप्रदेश, दिनांक : 30.05.2026

एसडी/-
अधिकृत अधिकारी सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए